रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 1997/माघ 9, 1918
No. 32] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 1997/MAGHA 9, 1918

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1997

सा. का. नि. 39(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त धाराओं की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसमें राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

कोई आक्षेप या सुझाव जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी, जिन्हें सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली के पते पर भेज सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 1997 है।

 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 3क में, उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

 "(5) अन्तःगर्भाशयी युक्तियों और फैलोप वलय की बाबत प्रयोगशाला के कृत्य केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, थाणे, महाराष्ट्र में किए जाएंगे और उक्त युक्तियों की बाबत निदेशक के कृत्य उक्त प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा किए जाएंगे"।

[सं. एक्स-11014/4/95-डी.एम.एस. एण्ड पी. एफ. ए.]

रेणु साहनी धर, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण:—1.5.1979 तक यथासंशोधित औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के प्रकाशन में निहित हैं जिसमें औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम ((पी डी जी एस 61) शामिल हैं और अन्तिम संशोधन दिनांक के सा. का. नि. दिनांक (अ) के तहत हुआ था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 1997

G. S. R. 39(E).—The following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government propose to make, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, in exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), is hereby published as required by the said sections for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government, which may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Amendment) Rules, 1997.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in rule 3A, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted namely :—

 "(5) The functions of the Laboratory in respect of Intra-uterine Devices and Falope Rings shall be carried out at the Central Drugs Testing Laboratory, Thane, Maharashtra and the functions of the director in respect of the said devices shall be exercised by the Director of the said Laboratory".

[No. X-11014/4/95-DMS & PFA]
RENU SAHNI DHAR, Jt. Secy.

Foot Note : The Drugs and Cosmetics Rules, 1945 as amended upto 1-5-1979 is contained in the publication of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) containing the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and the Rules (PDGHS-61) and last amended vide GSR.....Dated.....

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997